न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 30/2022 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2022/35

हंसा देवी पत्नी श्री रमेश औदिच्य निवासी आट आछट, बम्बोरा तहसील गिर्वा उदयपुर

— अपीलान्ट

बनाम

1. कालू पिता स्व. श्री दूदा डांगी, निवासी मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी स्व. श्री दूदा डांगी निवासी मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा, उदयपुर
3. लक्ष्मण पिता स्व. श्री दूदा डांगी निवासी मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा, उदयपुर
4. लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री दूदा डांगी निवासी मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा, उदयपुर
5. संतोष पुत्री स्व. श्री दूदा डांगी निवासी मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा, उदयपुर
6. सवाबाई पत्नी स्व. श्री दूदा डांगी निवासी मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा, उदयपुर
7. हीरालाल श्री दूदा डांगी निवासी मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा, उदयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बनाराजगी आदेश तहसीलदार (भू.अ.) गिर्वा उदयपुर (राज.) के नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 27.09.2019 के विरूद्ध

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

उपस्थित : श्री हिमांशु सोलंकी, अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक:– 04/02/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा में आराजी नम्बर 885 रकबा 0.0900 हे. स्थित है। उक्त आराजी में रेस्पोडेन्टगण के पिता/पति श्री दूदा पिता रूपा डांगी के नाम पर 246/900वां हिस्सा दर्ज था जिस हिस्से मे से 0.0056 हेक्टेयर भूमि दूदा जी डांगी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2019 से अपीलाण्ट को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से उक्त खरीदी हुई भूमि पर अपीलाण्ट

जिला कलक्टर
उदयपुर

काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद के आधार पर अपीलाण्ट के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम पर दर्ज नही कर दूदाजी की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1762 से रेस्पोडेण्टगण के नाम दर्ज कर दी गई। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट को विक्रय हुई 0.0056 हेक्टेयर भूमि में विक्रय के बाद स्व. दूदा के रेस्पाडेण्टगण का कोई हक व अधिकार नही रह गया था फिर भी उक्त सारी स्थिति से अवगत होते हुए भी रेस्पोडेण्टगण द्वारा अपीलाण्ट के मालिकाना हक की भूमि को भी अपने नाम पर गलत रूप से दर्ज करवाया गया है जो कार्यवाही पूर्णतया गलत व अपीलाण्ट के हक व हितो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेण्टगण के नाम विरासत से नामान्तरण की कार्यवाही करने से पूर्व सही रूप से जांच पडताल भी नही की गई यदि सही जांच पडताल कर व मौके की स्थिति देखकर नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल मे लाई जाती तो अपीलाण्ट के उक्त भूमि पर काबिज होने के आधार पर उक्त भूमि रेस्पाडेण्टगण के नाम पर दर्ज हो ही नही सकती थी। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसील (भू.अ.) गिर्वा, उदयपुर के नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 07.10.2019 को निरस्त फरमाया जावे व ग्राम मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा की आराजी नम्बर 885 रकबा 0.0900 हेक्टेयर भूमि रेस्पोडेण्टगण के नाम दर्ज हक व हिस्से मे से 0.0056 हेक्टेयर भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कराने का आदेश कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेण्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा में आराजी नम्बर 885 रकबा 0.0900 हे. स्थित है। उक्त आराजी में रेस्पोडेन्टगण के पिता/पति श्री दूदा पिता रूपा डांगी के नाम पर 246/900वां हिस्सा दर्ज था जिस हिस्से मे से 0.0056 हेक्टेयर भूमि दूदा जी डांगी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2019 से अपीलाण्ट को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से उक्त खरीदी हुई भूमि पर अपीलाण्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद के आधार पर अपीलाण्ट के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम पर दर्ज नही कर दूदाजी के मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1762 से रेस्पोडेण्टगण के नाम दर्ज कर दी गई जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

पर अपीलाण्ट को विक्रय हुई 0.0056 हेक्टेयर भूमि में विक्रय के बाद स्व. दूदा के रेस्पाडेण्टगण का कोई हक व अधिकार नही रह गया था फिर भी उक्त सारी स्थिति से अवगत होते हुए भी रेस्पोडेण्टगण द्वारा अपीलाण्ट के मालिकाना हक की भूमि को भी अपने नाम पर गलत रूप से दर्ज करवाया गया है अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसील (भू.अ.) गिर्वा, उदयपुर के नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 07.10.2019 को निरस्त फरमाया जावे व ग्राम मादडी पुरोहितान तहसील गिर्वा की आराजी नम्बर 885 रकबा 0.0900 हेक्टेयर भूमि रेस्पोडेण्टगण के नाम दर्ज हक व हिस्से मे से 0.0056 हेक्टेयर भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कराने का आदेश कराया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2019 अनुसार राजस्व ग्राम मादडी पुरोहितान में स्थित आराजी संख्या 885 रकबा 0.0900 हे. में से दूदा पिता रूपा डांगी द्वारा अपने हिस्से की भूमि (246/900) मे से 0.0056 हे. भूमि श्रीमती हंसा देवी को विक्रय किया गया है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1762 दिनांक 27.09.2019 (स्वीकृत दिनांक 07.10.2019) अनुसार 179/2475 वां हिस्सा अर्थात 0.0065 हे. भूमि का नामान्तरकरण वारिसानों के नाम दर्ज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार दूदा पिता रूपा डांगी का हिस्सा 0.0246 हे. था जिसमे 0.0056 हे. भूमि का बिकाव अपीलार्थी को दिनांक 07.02.2019 से किया गया है तथा विरासत का नामान्तरकरण 0.0065 हे. भूमि का वारिसानों के नाम दिनांक 27.09.2019 (स्वीकृत दिनांक 07.10.2019) को दर्ज किया गया है। बिकाव एवं विरासत में दर्ज भूमि का योग किया जावे तो भी विक्रय पत्र में अंकित हिस्से से कम होता है। अपीलार्थी यह सिद्ध करने में सफल नही रहे है कि अपीलार्थी को विक्रय की गई भूमि का ही नामान्तरकरण वारिसानों के नाम दर्ज हुआ है परन्तु न्यायालय इस बिन्दु की जांच किया जाना उचित समझता है कि अपीलाण्ट को विक्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है या नही।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देवे तथा दस्तावेजो की समुचित जांच करे एवं यदि नामान्तरकरण दर्ज करने में कोई लिपिकीय त्रुटि पायी जाए है तो दस्तावेजो के आधार पर त्रुटि का सुधार करे। उक्त सुधारात्मक कार्यवाही मे जो दस्तावेज पहले संपादित हुआ है उस दस्तावेज का राजस्व रिकार्ड में अंकन सुनिश्चित किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)